न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. रविकुमार सुरपुर, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 04/2017

अपीलार्थी	बनाम	**प्रत्यर्थी**
भोलाराम पुत्र मांगीलाल जाति माली निवासी भोजावतों का बास, रकासनी, सूरसागर जोधपुर।		1– बालकिशन पुत्र हरिसिंह 2– महेश पुत्र हरिसिंह 3– हेमलता पत्नी दिनेश 4– रितेश पुत्र दिनेश 5– विपिन पुत्र दिनेश 6– कोमल पुत्री दिनेश प्रत्यर्थीगण सं. 4 से 6 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता हेमलता पत्नी दिनेश जाति माली निवासी रकासनी,सूरसागर जोधपुर। 7– श्रीमती ललीता पुत्री हरिसिंह पत्नी गणपतसिंह माली निवासी चांदपोल गौर, रामद्वारा के पास, जोधपुर। 8– भूमिधारी जरिये तहसीलदार जोधपुर, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश तहसीलदार जोधपुर बनामान्तरकरण संख्या 908 दिनांक 09.11.2015 गेंवा स्वीकार किया गया।

– – –

आदेश दिनांक 19.06.2017

उपस्थिति–
1– श्री रमेश कुमार वर्मा अधिवक्ता (अपीलार्थीपक्ष)
2–प्रत्यर्थीपक्ष 1 ता 7 इत्तला बावजूद अनुपस्थित।
3– सरकारी पेरोकार अनुपस्थित।

:– आदेश –:

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वाके ग्राम गेंवा तहसील जोधपुर के ख.नं. 146 का बंट श्रीमती मूलीदेवी के नाम शेष रहा उक्त भूमि का बंट शेष भूमि से अधिक का नामान्तरकरण प्रत्यर्थीगण के नाम स्वीकृत किया गया व ख.नं. 147 की भूमि का वसीयत करने के बावजूद अपीलार्थी के नाम नामान्तरकरण नहीं किया, जिससे व्यथित होकर यह अपील मीमो मय प्रार्थना–पत्र धारा 5, भा. मियाद अधिनियम पेश हुआ।

अपील मियाद बिन्दु शर्त के साथ दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा मूल रिकॉर्ड भी तलब किया गया। प्रत्यर्थीगण सं. 1 ता 7 की ओर से अधिवक्ता श्री दीपक पारीक ने दिनांक 28.02.17 को वकालतनामा पेश किया तथा उनकी ओर से जबाब भी प्रस्तुत हुआ उसके पश्चात् इनकी ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। मूल नामान्तरकरण प्राप्त होने के बाद दिनांक 13.06.2017 को अपीलार्थीपक्ष के अधिवक्ता की इकतरफा गुणावगुण पर बहस सुनी गई।

लगातार...

अपीलाधीन नामान्तरकरण में विवादग्रस्त भूमि ख.नं. 146 की भूमि में बंट श्रीमती मूलीदेवी के नाम शेष रहा उक्त भूमि का बंट शेष भूमि से अधिक का नामान्तरकरण प्रत्यर्थीगण के नाम स्वीकृत करने में कानूनी भूल की है। बहस में यह भी कहा कि खसरा नम्बर 147 वाली भूमि में मूलीदेवी पत्नी स्व. उदाराम ने अपने हिस्से की भूमि का वसीयतनामा अपने जीवनकाल में अपने जेठूते भोलाराम पुत्र मांगीलाल(अपीलार्थी) के पक्ष में दिनांक 18.07.2011 को तहरीर व तकमील किया गया। मूलीदेवी की मृत्यु दिनांक 26.01.2015 को हो गई उसके पश्चात् नामान्तरकरण की कार्यवाही के लिए उक्त वसीयतनामा की प्रति व आवेदन पटवारी हलका को दिया गया, परन्तु अपीलार्थी के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया गया अतः अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करने में विधिक भूल की है। बहस के अंत में कहा कि प्रत्यर्थीगण की ओर से लिखित इकबाली जबाब भी पेश हुआ जिसमें राजस्व रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज होना स्वीकार किया है अतः अपील अन्दर मियाद सुमार कर स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जाय।

प्रत्यर्थीपक्ष की ओर से आज कोई उपस्थित है, परन्तु उनकी ओर से दिनांक 28.02.17 को जबाब पेश हुआ जिसमें व्यक्त किया गया कि ख.नं. 146 में प्रत्यर्थीपक्ष में वसीयत 4 बिस्वा भूमि तक ही है तथा उक्त 04 बिस्वा भूमि तारादेवी के वारिसान के नाम दर्ज करने में अपीलार्थी को कोई उज्र एतराज नहीं है। जबाब में आगे बतलाया कि ख.नं. 147 के संबंध में प्रार्थना चाही गई है उस बाबत् भी रेस्पो.पक्ष सहमत है व ख.नं. 147 के संबंध में रेस्पो. को किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है तथा ख.नं. 147 की खातेदार श्रीमती मूलीदेवी उर्फ छोटा बाई पत्नी उदाराम द्वारा अपने हिस्से के संबंध में वसीयतनामा अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित किया गया है जो सही है तथा उसी के अनुसार नामान्तरकरण भरने हेतु अपील स्वीकार किये जाने पर रेस्पो. को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अपील का गुणावगुण निर्णय करने से पूर्व प्रार्थना–पत्र धारा 5, भा.परिसीमा अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलार्थी/प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में बतलाया कि हलका पटवारी से दिनांक 10.11.2016 को मिलकर राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी लेने पर हलका पटवारी ने बतलाया कि वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया गया और सामान्य फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया, उस दिन सर्वप्रथम अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी होना बतलाया तथा अपने कथन की पुष्टि में शपथ–पत्र भी दिया गया। प्रत्यर्थीपक्ष की ओर से विलम्ब के बिन्दु पर कोई एतराज नहीं किया गया अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील में हुए विलम्ब को क्षमा कर अपील अन्दर मियाद सुमार की जाती है। अपील का गुणावगुण निर्णय इस प्रकार किया जा रहा है।

अपील अपीलार्थी का मुख्य कथन है कि ग्राम गेंवा के ख.नं. 146 रकबा 1.17 बीघा भूमि में 1/2 हिस्सा मूलीदेवी पत्नी उदाराम की खातेदारी का है उसमें से 0.14.10 बीघा भूमि का बक्शीशनामा करने के बाद भी अपीलाधीन नामान्तरकरण की कार्यवाही में शेष 04 बिस्वा भूमि होने के बाद भी 1/2 हिस्सा मूलीदेवी के वारिसान के नाम अंकित करने में कानूनी भूल की है तथा ख.नं. 147 रकबा 0.10 बीघा भूमि स्व. मूलीदेवी ने अपने जीवनकाल में अपीलार्थी के पक्ष में वसीयतनामा करने के बावजूद हलका पटवारी ने वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरकरण न खोला जाकर विरासत के रूप में दर्ज कर स्वीकार किया गया जो विधिक भूल हुई है। मूल नामान्तरकरण का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि यह नामान्तरकरण बक्शीशनामा के आधार पर न होकर मूलीदेवी की मृत्यु होने पर उसके विधिक प्रतिनिधियों के नाम नामान्तरकरण स्वीकार किया गया, जबकि ख.नं. 147 का रकबा अपीलार्थी के पक्ष में मूलीदेवी ने अपने जीवनकाल में वसीयत कर दी थी तथा इस बात की पुष्टि प्रत्यर्थीगण सं. 1 ता 7 की ओर से प्रस्तुत जबाब में भी की गई है। अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण

12

खसरा नं. 147 की भूमि की सीमा तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार जोधपुर को प्रतिप्रेषित किया जाता है। तहसीलदार जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीपक्ष 1 ता 7 को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए दो माह में नामान्तरकरण की कार्यवाही का विधि सम्मतः निस्तारण करे। आदेश सुनाया गया।